

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल 2 -04/2018

पटना, दिनांक :-

डा० निवेदिता सिंह, ट्यूटर (टेन्योर), पैथोलॉजी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को दिनांक-01.05.2019 से 27.10.2019 तक कुल 180 दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त अवकाश की अवधि के लिए ट्यूटर पद के अनुभव की गणना नहीं की जाएगी।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक- 17/एल 2 -04/2018 - 573 (17) पटना, दिनांक :- 22/7/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/डा० निवेदिता सिंह, ट्यूटर (टेन्योर), पैथोलॉजी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, (कौशल किशोर) के आप्त सचिव/प्रशाखा-02,03 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।